

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर, पोस्ट–विधानसभा, रायपुर–492005 (छत्तीसगढ़)

फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र0- छ०ग० / सरगुजा / बॉक्साईड / ०७ छ०ग० १६०१२

दिनांक:-17/01/2020

प्रति,

श्री अजीत वसंत, (भा०प्र०से०) नॉमिनेटेड ओनर, सर्वश्री छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखान भवन, द्वितीय तल, रिंग रोड क्रमांक –1, पुरैना, पोस्ट–रविग्राम, रायपुर, जिला–रायपुर (छ०ग०)–492001

विषय:-

छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित आपकी केसरा बॉक्साईड खदान 13.130 है० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22/11/2019 को श्री ए0 पी0 शाह, ऐजेन्ट (मांईन्स) की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Review of Mining Plan vide letter no. SRG/BX/MPLN/1184/2018/RPR Raipur dated 08/01/2019 for the period of F.Y. 2018-19 to 2020-21: Boundary Pillars: Boundary Pillars are not been constructed and maintained as per specification
	mentioned in MCR, 2016. Exploration: During F.Y. 2018-19; it was proposed to carry out 12 nos. of Core Boreholes up to a cumulative depth of 96.0 meters; whereas, none of the boreholes have been drilled so far. Development: In the approved Review of Mining Plan, there was a proposal given for the production and development during the financial year 2018-19: In between local co-ordinates N270 to N360 and W045 to W105 2019-20: In between local co-ordinates N135 to N270 and W002 to W143 Whereas, production and development is being done in irregular and unscientific manner at many places within lease area without any approved proposal.
	Disposal of Waste: In the approved Review of Mining Plan, there was proposal given for temporary dumping in between local co-ordinates 2018-19: N305 to N340 and E010 to E115 2019-20: N273 to N340 and E010 to E118 Whereas, dumping of OB/Waste is being done at the adjacent of the existing working quarries in irregular manner and unscientific manner, without any approved proposal. Protective Measures: There was a proposal given for construction of 135.0 meters Garland Drain and 300 meters Retaining Wall, all along the waste dump during the financial year 2018-19. Whereas, Garland Drain and Retaining Wall have not been constructed. Afforestation: There was a proposal given for plantation of 666 nos. of plants during the financial year 2018-19. Whereas, NIL plants have been planted so far.
Rule 19	Compliance of Environmental monitoring: There was a proposal given for quarterly monitoring of Ambient Air, Water Quality and Noise Vibration. Whereas, monitoring has not been done. Log book of heavy earth moving machinery used in the mines is not been maintained and made
(1), (2) & (3)	available during inspection.
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilative works carried out has not been submitted for the financial year 2018-19.
Rule 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the financial year 2018-19.
Rule 35	Online self assessment report of mining and allied activities as per the notified template of star rating in the format prescribed by the Indian Bureau of Mines for the financial year 2018-19 has not been submitted.

Rule 45 (5) (b)	मासिक विवरणियाँ: खान की माह नवंबर 2018 से मार्च 2019 की मासिक विवरणीयां ऑनलाइन नहीं भरी गई है एवं विवरणियाँ की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। नियमानुसार मासिक विवरणियाँ संबंधित माह के समाप्ति के 10 दिन के भीतर www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए। चूंकि खान में खनन संक्रियाएं दिनांक
	09/11/2018 को प्रारंभ की जा चुकिं हैं अतः मासिक विवरणियाँ जमा किया जाना अनिवार्य है।
Rule 45 (5) (c)	वार्षिक विवरणियाँ: खान की वित्त वर्ष 2018—19 की वार्षिक विवरणियाँ ऑनलाइन नहीं भरी गई हैं एवं विवरणियों की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। वार्षिक विवरणियाँ www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगली 1 जुलाई के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए। चूंकि खान में खनन संक्रियाएं दिनांक 09/11/2018 को प्रारंभ की जा चुिक हैं अतः वार्षिक विवरणियाँ जमा किया जाना अनिवार्य है।
Rule 46	Notice of Certain Appointment: Appointment notice of the Nominated Owner and the Agent (Mines), have not been sent in the prescribed format to the authorized officer within fifteen days from the date of such appointments.
Rule 55	Whole-time Mining Engineer and a Geologist are not been appointed.

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत:—
 - (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय) कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ हेतु :-

- 1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) –440001
- 2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिट्ल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) –440001
- 4. श्री ए० पी० शाह, ऐजेन्ट (मांईन्स), सर्वश्री छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,, कार्मेल स्कूल के पीछे गृह निर्माण कॉलोनी, नमनाकला, अम्बिकापुर, जिला—सरगुजा (छत्तीसगढ), पिन कोड— 497 001

(शैवाल कार्तिकेय) कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर